न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2017

पीठासीन अधिकारीः–श्री साधुराम जी जाट, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–23/16 वाद पत्र

उनवान

1–हगामीबाई पुत्री घीसा जाट आयु बालिग निवासी सिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

वादिया

बनाम

1– शंकरलाल आत्मज सुवालाल जाट आयु बालिग निवासी सिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2– मु0 शान्ता पुत्री सुवालाल जाट आयु बालिग निवासी सिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3– मु0 सोहनी बेवा सुवालाल जाट आयु बालिग निवासी सिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4– उर्जन पिता हांसा जाट आयु बालिग निवासी सिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5– तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धाराः88, 89, 91, 92ए , 188 आर0टि0एक्ट

जगदीश चन्द्र चौधरी — अधिवक्ता वादिया
मुकेश कुमार चौधरी — अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक 19.06.2017

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प गलवा मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि वादिया के पिता घीसा पिता नन्दा जी जाट के नाम एवं अन्य के नाम पर ग्राम सिंहपुरा पटवार हल्का गलवा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में खातेदारी अधिकार व कब्जे काश्त की निम्न साबिक आराजियात स्थित है। आराजी संख्या 107, 349, 187 मीन, 164, 191, 403, 409, 413, 416, 417 मीन की भुमियां स्थित है जिसमें वादिया के पिता का 2/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 4 के पिता हांसा का 1/3 हिस्सा राजस्व जमाबन्दी मे दर्ज रेकार्ड हैं। प्रमाण मे जमाबन्दी साथ प्रस्तुत है। वादिया के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है–

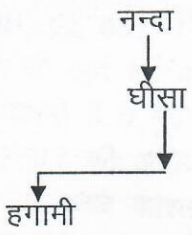

प्रतिवादीगण के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है–

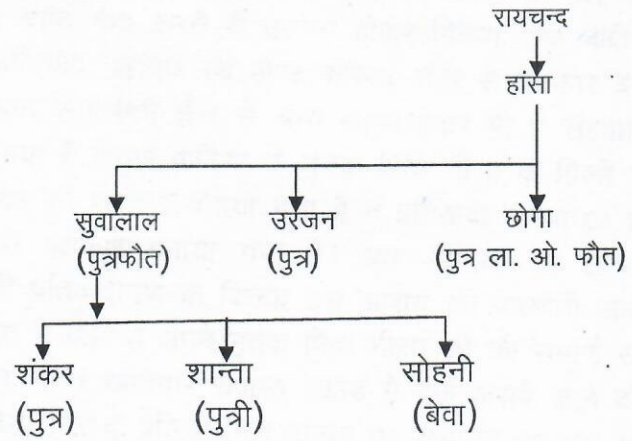

उक्त सजरे अनुसार वादिया मृतक घीसा पिता नन्दा की जायन्दा पुत्री हैं तथा घीसा की प्रथम श्रेणी की वारिस होकर मृतक घीसा की उत्तराधिकारीणी है। ग्राम सिंहपुरा का नवीन भूप्रबन्ध हुआ जिसके नवीन नम्बर के नंबर 328 रकबा 0.62 है0, 624 रकबा 5.19 है0, 308 रकबा 0.42 है0, 309 रकबा 0.28 है0, 310 रकबा 0.03 है0, 311 रकबा 0.49 है0, 312 रकबा 0.28 है0, 317 रकबा 2.36 है0, 409 रकबा 0.05 है0, 299 रकबा 0.02 है0, 695 रकबा 0.07 है0, 705 रकबा 0.11 है0, 711 रकबा 0.29 है0, 714 .रकबा 0.13 है0, 715 रकबा 0.30 है0, 716 रकबा 0.20 है0, 717 रकबा 0.20 है0 नंबर पडे। प्रमाण मे नवीन जमाबन्दी, मिलान क्षेत्रफल जमाबन्दी साथ पेश है। वादिया के पिता घीसा जी के स्वर्गवास होने पर तत्कालीन ग्राम पंचायत गलवा मे ग्राम सिंहपुरा द्वारा नामान्तरण संख्या 12 दिनांक 03.07.1960 को प्रतिवादी संख्या 01, 02 व 03 के पुर्वज सुवालाल के नाम व बाद मे प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के नाम गलत रूप से सम्पुर्ण हिस्सा दर्ज कर दिया गया है। जबकि वादिया ही मृतक घीसा की जायन्दा पुत्री होकर प्रथम श्रेणी की वारिस होकर खातेदारी हक अधिकार की घोषणा कराने की अधिकारिणी है। नामान्तरण संख्या 12 दिनांक 03.07.1960 फैसल करते समय वादिया को न तो सुनवाई का अवसर दिया व न ही वादिया के पिता का पुरा सजरा अंकित किया है महज मृतक घीसा के मात्र एक गोदपुत्र सुवालाल बताते हुए प्रतिवादी संख्या 01, 02, 03 के पुर्वज के नाम सम्पुर्ण हिस्सा दर्ज कर दिया गया है जो प्रारम्भ से ही शुन्य होकर वादिया के हक व अधिकारो के मुकाबले शुन्य है व काबिल निरस्तनीय है तथा वादिया ही उक्त सम्पुर्ण आराज़ियात मे कानूनी रूप से सम्पुर्ण हिस्से की खातेदार घोषित फरमायी जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। खातेदार घीसा की मृत्यु के बाद गलत एवं विधि विरूद्ध रूप से खोले गये नामान्तरण संख्या 12 का नामान्तरण का लाभ उठाते हुए प्रतिवादीगण संख्या 01, 02, 03 के पिता व पति ने नाजायज सांठ गांठ करते हुए नामान्तरण संख्या 12 अपने नाम अवैध रूप से दर्ज करवा दिया है जो प्रारम्भ से ही शुन्य है इस अवैध तरीके से दर्ज हुए हिस्से को प्रतिवादी संख्या 01, 02, 03 खुर्द बुर्द करना चाहते है जिससे वादिया को विवश होकर यह वाद पेश करना चाहते है। घीसा की मृत्यु उपरान्त विरासत से खोला गया नामान्तरण संख्या 12 व सुवालाल की मृत्यु उपरान्त खोला गया नामान्तरण संख्या 219 भी प्रतिवादी संख्या 01, 02, 03 के नाम गलत अवैध रूप से खोल दिया गया है जो वादिया के मुकाबले शुन्य एंवं निष्प्रभावी होकर समस्त पश्चात्वर्ती संव्यवहार भी अवैध व शुन्य होने से निष्प्रभावी घोषित कराने की वादिया अधिकारिणी है। खातेदार घीसा की मृत्यु के पश्चात् सुवालाल के नाम सम्पुर्ण हिस्सा गलत रूप से दर्ज कर दिया है जबकि वादिया अपने पिता के सम्पुर्ण हिस्से पर मोके पर काबिज चली आ रही है इसी आधार पर वादिया घीसा के सम्पुर्ण हिस्से की खातेदार घोषित होने की अधिकारिणी है। प्रतिवादी संख्या 01, 02, 03 अपने नाम पर गलत दर्ज होने का नाजायज लाभ हासिल करने की नियत से मुझ वादिया की आराजिया को खुर्द बुर्द कर रहन, बय, बक्षीस या हस्तान्तरण कर सकते हैं व मुझ वादिया को ताकत के बल पर बेदखल कर सकते हैं व मुझ वादिया के पक्ष मे प्रतिवादी संख्या 01, 02, 03 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की पाने की अधिकारणी हैं कि मुझ वादिया को अपने पिता घीसा की सम्पत्ति से बलपूर्वक न हटावे व मुझ वादिया के कब्जे काश्त मे बाधा कारित न करें। वादिया को उक्त सभी तथ्यो की जानकारी नकले दिनांक 18.03.2016 को निकालने पर हुई हैं वादिया द्वारा बार बार कहने पर भी वादिया का नाम जुडाने व दिनांक 01.04.2016 को स्पष्ठ मना करने से उत्पन्न होकर बिनाय वाद जारी है। उक्त वाद अन्दर अवधि पेश है। प्रतिवादी संख्या 5 उप पंजियक महोदय एवं लेण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाये गये है। वादपत्र की कलम संख्या 01 मे अंकित आराजियात सामलाती होने से अन्य सहखातेदार भी है सहखातेदार से कोई दाद नही चाही हैं जिससे उन्हे पक्षकार नही बनाया है केवल वादिया के मृतक पिता घीसा के हिस्से से गलत रूप से आई आराजियात के प्रतिवादी संख्या 01, 02, 03 को पक्षकार बनाया गया है व प्रतिवादी संख्या 04 प्रतिवादी संख्या 01, 02, 03 के पूर्वज सुवालाल का भाई होने से पक्षकार बनाया गया है। अतः वादिया की सादर प्रार्थना हैं कि – खातेदारी अधिकारो की घोषणात्मक डिक्री प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की फरमायी जावे कि वादपत्र की कलम संख्या एक मे अंकित वर्णित आराजियात मे वादिया अपने मृतक पिता घीसा जी की सम्पुर्ण सम्पत्ति मे समान रूप से हक व अधिकार यानि हिस्से की पृथकतः बतोर खातेदार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कराये जाने की वादिया अधिकारीणी है। स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 03 इस आशय की फरमायी जावे कि वादपत्र की चरण संख्या 01 मे अंकित जिसके नवीन नंबर कलम संख्या 04 में अंकित आराजियात मे निहीत वादिया के हिस्से व कब्जे

काश्त की आराजियात मे प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावे तथा वादिया को अपने कब्जे काश्त की आराजियात से बेदखल नही करे तथा वादग्रस्त आराजियात को किसी अन्य को रहन, बय, बक्षीस या अन्य तरीके से हस्तान्तरण नही करे तथा प्रतिवादी संख्या 05 प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 द्वारा उक्त आराजियात के संदर्भ मे प्रस्तुत किसी भी प्रकार के दस्तावेज का पंजियन नही करें। घोषणात्मक डिक्री वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की फरमायी जावे कि नामान्तरण संख्या 12 दिनांक 03.07.1960 ग्राम सिंहपुरा ग्राम पंचायत गलवा वादिया के हक व अधिकारो के मुकाबले प्रारम्भ से ही शुन्य होकर बेअसर है एवं इसी आधार पर आगामी किये गये संव्यवहार एवं प्रविष्ठया अवैधानिक व शुन्य है।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 13.04.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 2 को जारी समन तामील होकर आये। बाद तामील प्रतिवादी संख्या 2 अनुपस्थित। अतः प्रतिवादी संख्या 2 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। न्याय आपके द्वार केम्प मे प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4 उपस्थित आये। प्रतिवादी संख्या 1 ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि उनका अधिवक्ता आ रहा है, तभी कुछ बोलेंगे। शाम को 4 बजे प्रतिवादीगण 1 व 3 के अधिवक्ता उपस्थित आये। उपस्थित अधिवक्ता से प्रकरण में जवाब अपेक्षित होने के कारण प्रतिवाद चाहा गया, साथ ही उनको दिनांक 08.07.2016 केम्प ग्राम पंचायत गलवा पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 09 नियम-7 सपठित धारा 151 को स्वीकार किये जाने के पश्चात भी लगभग 11–12 माह गुजरने के पश्चात जवाब नही देने का कारण पुछा गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के अधिवक्ता ने मौखिक रूप से कहा कि वादिया 90–95 वर्ष की है, एक–दो वर्ष उसके अन्तिम समय का इन्तजार कर रहे है, और प्रकरण सिर्फ और सिर्फ लम्बा खींचना चाहते है, जो कि पत्रावली से जाहिर हो रहा है। ऐसी स्थिती मे जवाब नही देने की स्थिती मे प्रतिवादी संख्या 1 व 3 कि ओर से जवाब बन्द किया जाकर, प्रतिवादी संख्या 4 जो कि वाद मे प्रतिवादी है, और प्रतिवादिया द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया। हाँलाकि प्रकरण सिर्फ एक विधीक वारिस द्वारा अपने पिता की मृत्यु होने पर वादिया जो कि एकमात्र पुत्री सन्तान है, उसे विरासत मे भूमि ना देकर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता व पति स्वर्गीय सुवालाल ने अपने नाम विरासत अविधीक तरीके से खुलवाने से जुडा होकर घोषणा से संबधित है।

इसे दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है, कि समाज मे जिनके पुत्र संतान नही है, और पुत्री संतान ही है, क्या उन्हे अपने पिता की विरासत के लिये इस प्रकार गैर–तरीके से विरासत प्राप्त करने वालों(या उसके प्रतिनिधीयों) से पिडीत होना ही पडता रहेगा। न्याय आपके द्वार राजस्व केम्प – 2017 ग्राम पंचायत गलवा मे मौके पर प्रबद्ध नागरिकों से भी अपेक्षा की गई कि ऐसे मामलों मे निर्णय प्रदान कराने मे सहयोग करें।

इस पर प्रतिवादी संख्या 4 अर्जुन पिता हांसा(जो कि प्रतिवादीगणो 1 से 3 के पिता सुवालाल का सगा भाई है) ने वादिया को उसके पिता की सम्पत्ती देने मे रजामन्दी की। सुवा पुत्र हांसा ने गोद पुत्र बनकर घीसा पुत्र नन्दा की विरासत से अपने नाम भूमि अंकित कराली। तत्पश्चात सुवालाल ने अपने जैविक पिता हांसा पुत्र रायचन्द की विरासत मे भी अपना(सुवा), उरजन, छोगा पिता हांसा की विरासत करायी।

प्रतिवादीगण 1 व 3 के द्वारा जवाब प्रस्तुत नही होने पर जवाब बंद होने पर तनकियात कायम कि गई–

तनकी.1 – आया वादिया अपने पिता घिसा की विरासत की अधिकारिणी अकेली ही है, या गोदपुत्र सुवालाल पुत्र(जैविक) हांसा भी अधिकारी है ?

भार – वादिया

2. आया – वादिया मृतक घीसा पुत्र नन्दा की किस श्रेणी की अधिकारिणी है ?

भार – वादिया

3 – अनुतोष ।

न्याय आपके द्वार अभियान मे पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों और सबूत जमाबन्दी(खेवट खतौनी) ग्राम सिंहपुरा तहसील रायपुर संवत 2019 से 2020 के खाता संख्या 09 जिसे प्रदर्श 'A' मार्क किया है, जो प्रमाणित प्रतिलिपी रजिस्टर संख्या 507 प्र0 18 दिनांक 01–04–2016 को तहसील से जारी है, प्रस्तुत होने व विशेष विवरण मे खातेदार घीसा पुत्र नन्दा कौम जाट सा0 देह0 के विरासत ना0स0 12 दिनांक 03–07–1960 के आधार पर "घीसा का खाता

विरासत से सुवालाल मुतबन्ना घीसा व विलाया हांसा दर्ज करने की स्वीकृति नामा0 सं0 12 दिनांक 03–7–60 के द्वारा किया गया । इसी प्रकार खाता सं0 219 ग्राम सिंहपुरा की जमाबन्दी 2072–75 मे शंकरलाल पिता सुवालाल शान्ता पुत्री सुवालाल 1/6, सोहनी बेवा सुवालाल उरजन पिता हांसा 1/6 जाट सा0 खातेदार ईन्तकाल नम्बर 219 के आधार पर वादिया यह प्रमाणित प्रदर्श 'B' के आधार पर खाता सं. 218 प्रदर्श 'C' खाता संख्या 217 प्रदर्श "डी" के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता व पति सुवालाल पिता हांसा को उसके जैविक पिता की मृत्यु के बाद विरासत मे उसके हिस्से की भूमि का नामान्तरण होकर दर्ज होने से प्रमाणित है कि सुवालाल पुत्र हांसा गैर विधीक तरीके से अपने आप को एकमात्र गोदपुत्र के आधार पर वादिया को विधीक वारिश नही मानकर गैर कानूनी तरीके से नामान्तरण खुलवाया जाना प्रमाणित होता है, उक्त विवेचन के आधार पर वादिया ने दोनो तनकियो को प्रमाणित करने मे सफल रहे हैं। वादिया हगामी पुत्री घीसा जाति जाट मृतक घीसा की विधीक वारिस और जायन्दा पुत्री होने के कारण घीसा पुत्र नन्दा की खातेदारी भूमि की खातेदार घोषित होने की अधिकारिणी है। घीसा पुत्र नन्दा की मृत्यु पर विरासत सुवालाल पुत्र हांसा(दत्तक पुत्र घीसा) के नाम विरासत विधीक वारिसो के चलते बिना किसी रजिस्टर्ड गोदनामा के किया जाकर वादिनी के हितों पर कुठराघात किया गया है, जो विधी सम्मत नही है। यदि सुवालाल पुत्र हांसा को यदि दत्तक पुत्र के आधार पर घीसा पुत्र नन्दा का वारिस माना गया है, तो सुवालाल पुत्र हांसा को अपने जैविक पिता हांसा पुत्र रायचन्द की विरासत मे भी शामिल किया गया, जो विधी के अनुकूल नही है। इस प्रकार एक सोची समजी रणनिती के तहत सुवालाल पुत्र हांसा ने घीसा पुत्र नन्दा की मृत्यु पर मृतक घीसा की विधीक पुत्री वादिया हंगामी पुत्री घीसा को हको से दूर रखवाया, चूंकि वादिया एक पुत्री सन्तान थी। सुवालाल पुत्र हांसा की मृत्यु हो जाने के कारण सुवालाल के विधीक वारिस प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 जान बूजकर टालम–टोल कर वाद को लम्बा खींच कर निस्तारित नही होने देना चाहते, जो कि कैम्प के दोरान प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के द्वारा स्वयं एवं अधिवक्ता द्वारा भी मौखिक स्वीकार किया गया, एवं एक वर्ष के अन्दर जवाब नही देकर कैम्प के दोरान भी जवाब नही देकर अपने मनसूबे जाहिर किये है। इस प्रकार वाद वादिया का क्लीन हैण्ड व प्रमाणित होने पर स्वीकार किया जाकर आदेश अपने हक मे प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

अतः ग्राम सिंहपुरा का नवीन भूप्रबन्ध हुआ जिसके नवीन नम्बर 328 रकबा 0.62 है0, 624 रकबा 5.19 है0, 308 रकबा 0.42 है0, 309 रकबा 0.28 है0, 310 रकबा 0.03 है0, 311 रकबा 0.49 है0, 312 रकबा 0.28 है0, 317 रकबा 2.36 है0, सुवालाल मुतबन्ना घीसा हिस्सा 2/3, 409 रकबा 0.05 है0 सुवालाल मुतबन्ना घीसा हिस्सा 1/8, 299 रकबा 0.02 है0 सुवालाल मुतबन्ना घीसा हिस्सा 1/2, 695 रकबा 0.07 है0, 705 रकबा 0.11 है0, 711 रकबा 0.29 है0, 714 रकबा 0.13 है0, 715 रकबा 0.30 है0, 716 रकबा 0.20 है0, 717 रकबा 0.20 है0 सुवालाल मुतबन्ना घीसा बविलायत हांसा जाट सम्पूर्ण हिस्से से सुवालाल मुतबन्ना घीसा का नंबर पडे। वादिया अपने मृतक पिता घीसा जी कि सम्पुर्ण सम्पत्ति मे उपरोक्तानुसार हिस्से व सम्पूर्ण की पृथकतः बतौर खातेदार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कराये जाने कि वादिया अधिकारिणी है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया गया। ग्राम सिंहपुरा का नवीन भूप्रबन्ध हुआ जिसके नवीन नम्बर 328 रकबा 0.62 है0, 624 रकबा 5.19 है0, 308 रकबा 0.42 है0, 309 रकबा 0.28 है0, 310 रकबा 0.03 है0, 311 रकबा 0.49 है0, 312 रकबा 0.28 है0, 317 रकबा 2.36 है0, सुवालाल मुतबन्ना घीसा हिस्सा 2/3, 409 रकबा 0.05 है0 सुवालाल मुतबन्ना घीसा हिस्सा 1/8, 299 रकबा 0.02 है0 सुवालाल मुतबन्ना घीसा हिस्सा 1/2, 695 रकबा 0.07 है0, 705 रकबा 0.11 है0, 711 रकबा 0.29 है0, 714 रकबा 0.13 है0, 715 रकबा 0.30 है0, 716 रकबा 0.20 है0, 717 रकबा 0.20 है0 सुवालाल मुतबन्ना घीसा बविलायत हांसा जाट सम्पूर्ण हिस्से से सुवालाल मुतबन्ना घीसा का नंबर पडे। वादिया अपने मृतक पिता घीसा जी कि सम्पुर्ण सम्पत्ति मे उपरोक्तानुसार हिस्से व सम्पूर्ण की पृथकतः बतौर खातेदार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कराये जाने कि वादिया अधिकारिणी है। भूमि वादिया के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कर वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित प्रतित होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादिया अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने के कारण वादिया का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ। अतः

आदेश

ग्राम सिंहपुरा का नवीन भूप्रबन्ध हुआ जिसके नवीन नम्बर 328 रकबा 0.62 है0, 624 रकबा 5.19 है0, 308 रकबा 0.42 है0, 309 रकबा 0.28 है0, 310 रकबा 0.03 है0, 311 रकबा 0.49 है0, 312 रकबा 0.28 है0, 317 रकबा 2.36 है0, सुवालाल मुतबन्ना घीसा हिस्सा 2/3, 409 रकबा 0.05 है0 सुवालाल मुतबन्ना घीसा हिस्सा 1/8, 299 रकबा 0.02 है0 सुवालाल मुतबन्ना घीसा हिस्सा 1/2, 695 रकबा 0.07 है0, 705 रकबा 0.11 है0, 711 रकबा 0.29 है0, 714 रकबा 0.13 है0, 715 रकबा 0.30 है0, 716 रकबा 0.20 है0, 717 रकबा 0.20 है0 सुवालाल मुतबन्ना घीसा बविलायत हांसा जाट सम्पूर्ण हिस्से से सुवालाल मुतबन्ना घीसा का नाम हटाकर वादिया अपने मृतक पिता घीसा जी कि सम्पुर्ण सम्पत्ति मे उपरोक्तानुसार हिस्से व सम्पूर्ण की पृथकतः राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कर वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित करने का आदेश तहसीलदार रायपुर को दिया जाता है। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी हो।

19/6/17

साधुराम जाट
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 19.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा